संख्या–212/चौवालिस-1-91-31(114)/74

प्रेषक,

श्री प्रेम शंकर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के
अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 2 जनवरी, 1991

विषयः– उ०प्र० शासन के समस्त निगमों/केन्द्रीय/शीर्ष सहकारी संस्थाओं/उपक्रमों के पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारियों (चीफ इक्जीक्यूटिव्य) द्वारा स्टाफ कार का निजी प्रयोग।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3106/ब्यूरो-1-31(114)/74, दिनांक 24 अगस्त, 1979 तथा शासनादेश संख्या–1170/चौवालिस-1-31(114)/74, दिनांक 8 नवम्बर, 1983 का अतिक्रमण करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्टाफ कार का निजी प्रयोग निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगाः–

(1) स्टाफ कार का निजी प्रयोग 200 कि०मी० प्रतिमाह से अधिक नहीं किया जायेगा।

(2) स्टाफ कार के 200 कि०मी० तक प्रतिमाह निजी प्रयोग के लिए रू० 150/- भुगतान करना होगा।

(3) बड़ी गाड़ियों का निजी प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(4) निगमों/उपक्रमों के मुख्य कार्यकारियों के अतिरिक्त उद्यम के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पूल की गाड़ियों का निजी प्रयोग नहीं किया जायेगा।

भवदीय,
(प्रेम शंकर)
विशेष सचिव।

संख्या–212 (1)/चौवालिस–1/90-31(114)/74 टी.सी.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के सचिव/विशेष सचिव।
2- निगमों/उपक्रमों से सम्बन्धित सचिवालय के प्रशासकीय अनुभाग
3- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
(प्रेम शंकर)
विशेष सचिव।